बिहार सरकार

State Health Society, Bihar

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Udai Singh Kumawat (I.A.S)

EXECUTIVE DIRECTOR

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Shiekhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3959447, 3959448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

संचिका संख्या SHSB/Admin/34/05

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

पत्रांक 2096 पटना दिनांक 01.12.06

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत (भा0प्र0से)

विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग सह–कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सेवा में ,

सभी जिलाधिकारी

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

विषय :– राज्य के सभी जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिलावार ए0एन0एम0 के स्वीकृत एवं रिक्त पदो पर संविदा/मानदेय के आधार पर चयन के संबंध में ।

प्रसंग :– स्वास्थ्य (चिकित्सा शिक्षा, देशी चिकित्सा एवं प0 क0) विभाग का संकल्प दिनांक :–29.03.2006 ज्ञापांक:– 6/एन–13–07–/05

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक संकल्प की ओर भवदीय ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि जिलावार ए0एन0एम0 के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर, कार्यहित में, संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध चयन का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ।

2. ए0एन0एम के लिए प्रति माह स्वीकृत एकमुश्त मानदेय की राशि निम्नांकित है ।

पदनाम	एकमुश्त मानदेय (रुपये में)
महिला स्वा. कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम)	3900

मानदेय के अलावे, अन्य कोई राशि भुगतेय नहीं होगी ।

(3) जिला में ए0एन0एम0 के नियुक्ति पदाधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी है ।

<u>(4)चयन की शर्तें:–</u>

संविदा के आधार पर चयन के लिए निम्नांकित **शर्तें** निर्धारित की गयी है :–

(क) संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा ।

(ख) उपर्युक्त कार्रवाई पूर्व से स्वीकृत एवं वर्त्तमान में रिक्त पदो के लिए ही की जायेगी ।

(ग) उपरोक्त में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा । यदि नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण सावधिक संविदा नियोजन की स्थिति हो तो निर्धारित नियुक्ति के रोस्टर बिन्दुओं का ही अनुपालन किया जायेगा ।

(घ) संविदा एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुमान्य होगी । किसी भी परिस्थिति में संविदा के आधार पर अनुबंधित इन कर्मियों की संविदा का विस्तार नहीं किया जायेगा । यदि एक वर्ष तक नियमित नियुक्ति नहीं होगी तो पुनः नये सिरे से संविदा आमंत्रित कर अनुबंधित किया जायेगा ।

(ङ0) चयन के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए ।

(च) संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटीस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ।

(छ) संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवार को, अभ्यावेदन के साथ, इस आशय का "Indemnity Bond" संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे ।

(ज) आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

(5) योग्यता एवं अर्हता :–सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त परीक्षोत्तीर्ण साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से अद्यतन निबंधन अनिवार्य ।

(6) चयन की प्रकिया:–

चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(i) चयन का आधार प्रशिक्षण संस्थानों के सभी परीक्षाओं का प्राप्तांक होगा अर्थात ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं का प्राप्तांक ही चयन का आधार होगा ।

(ii) सभी उम्मीदवार निबंधित डाक से आवेदन पत्र भेजेंगे । सभी आवेदन पत्रों को कम्प्युटर में संकलित किया जायेगा ।

(iii) रोस्टर वार रिक्त पदों की संख्या के आधार पर कम्प्युटर मेधा सूची तैयार करेगा ।

(iv) जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी, ताकि किसी स्तर पर मेधा सूची तैयार करने में कोई गलती न हो । सिविल सर्जन, अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रतिनिधि पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति के दो सदस्य जिसमें से एक महिला होंगी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी इस चयन समिति के सदस्य होंगे ।

(v) अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची, जिला स्वास्थ्य समिति सिविल सर्जन कार्यलय एवं समाहरणालय के सूचना पट पर एक सप्ताह के लिए प्रकाशित की जायेगी । सूचना पट पर मेधा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी । प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह तक मेधा सूची की प्रविष्टि पर आपत्ति प्राप्त की जायेगी, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की गयी अनुशंसा के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निपटारा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ही करेगी, **यथा 6 (v)**

(vi) उम्मीदवारों के चयन संबंधित सूची दो भागों में तैयार की जायेगी । भाग "A" में पद का नाम, रोस्टर बिन्दु, रिक्ति, सुयोग्य अभ्यर्थियों के नाम, प्राप्तांक, एवं योग्यता क्रमांक होगा । द्वितीय भाग "B" प्रतीक्षक सूची के रूप में जानी जायेगी । यह सूची भी रोस्टरवार योग्यता क्रम से ही तैयार होगी एवं उतने ही अभ्यर्थियों की बनेगी जितने पद उस कोटि के लिए अनुमान्य होंगे । भाग "A" सूची से चयनित उम्मीदवारों के योगदान नहीं करने पर भाग "B" की सूची से रोस्टर बिन्दुओं के उम्मीदवारों में से योग्यता क्रम से उम्मीदवार का चयन स्वतः कर लिया जायेगा । चयनित व्यक्तियों को निबंधित डाक से सूचना दी जायेगी।

(7) अंतिम रूप से आरक्षण कोटिवार तैयार मेधा सूची, प्रतिक्षा सूची के साथ जिला समाहारणालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी । अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर चयनित उम्मीदवारों को योगदान करना होगा। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश समय सीमा के भीतर योगदान करना किसी अभ्यर्थी के लिए संभव नहीं हो तो उसे इसी 7 दिनों के भीतर सिविल सर्जन कार्यालय में इसकी सूचना देनी होगी । अन्यथा चयन स्वतः रद्द हो जायेगा ।

(8) चयनित उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक होगा कि किसी फौजदारी मुकदमें में दंडित नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र तथा पासपोर्ट साईज–दो फोटोग्राफ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित, अवश्य जमा करेंगें।

(9) चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सभी प्रमाण पत्रों के साथ कमवार एवं पदवार (सामान्य चिकित्सक एवं विशेषज्ञ के लिए अलग–अलग लगाकर अलग–अलग Volumes में Bind करा कर सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी गहन जॉच की जा सके। हर Volumes के प्रथम पृष्ठ पर यह प्रमाणित रहे कि इस Volumes में कुल कितने पृष्ठ हैं एवं इसके किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक के आवेदकों के प्रमाण–पत्र रक्षित हैं । इस Volumes में की गई क्रम संख्या आपके द्वारा तैयार की गई Merit List की क्रम संख्या के अनुरूप होगी । सभी Volumes में क्रम संख्या लगातार अंकित की जाये । उदाहरण स्वरूप यदि Volumes I में क्रम संख्या 1 से 100 तक के आवेदकों के प्रमाण–पत्र रक्षित है। तो Volumes II में 101 से 200 तक के आवेदकों के प्रमाण–पत्र रक्षित रहेंगे । प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है।

विश्वासभाजन

(उदय सिंह कुमावत)

विशेष सचिव सह कार्यपालक निदेशक